उत्तर प्रदेश वन निगम

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

अरण्य विकास भवन, 21/475, इन्दिरानगर, लखनऊ 226016

पत्रांक-एम- 4401 /नीलाम जनरल/शर्ते (सामान्य नीलाम) दिनाँक 05/10/2020

कार्यालय आदेश

उ0 प्र0 वन निगम के अन्तर्गत वर्तमान में समस्त प्रकार के प्रकाष्ठ, खैर, बांस, जलौनी आदि के मैनुअल नीलाम (सामान्य नीलाम) से विक्रय होने वाले प्रकाष्ठ एवं अन्य वनोपज की जमानत एवं विक्रय मूल्य के भुगतान हेतु क्रय किये गये प्रकाष्ठ/वनोपज के भुगतान हेतु ई-भुगतान की शर्ते/प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। तद्नुसार इस कार्यालय के पत्रांक एम-1179/नीलाम जनरल/शर्ते/दिनांक 21.05.2014, पत्रांक एम-6783/ नीलाम जनरल/शर्ते/दिनांक 14.11.2014 एवं पत्रांक एम 805/नीलाम जनरल/शर्ते/दिनांक 24.10.2019 द्वारा सामान्य नीलाम के संबंध में शर्ते/प्रक्रिया मैनुअल नीलाम (सामान्य नीलाम) द्वारा बिक्री हेतु संशोधित होंगी। सामान्य नीलाम के लिए समस्त क्रेताओं को उ0प्र0 वन निगम की वेबसाईट पर अपने लॉगिन आई0डी0 पर अपने बैंक खाते का विवरण आनलाइन अंकित करना होगा। इन शर्तो/प्रकिया के लागू होने की तिथि के पूर्व में इस संबंध में जारी किये गये निर्देश/आदेश/प्रक्रिया को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। ये शर्ते/प्रक्रिया विभिन्न विक्रय प्रभागों में दिनांक 03.11.2020 से होने वाले मैनुअल नीलाम (सामान्य नीलाम/ समिति नीलाम आदि) से लागू होगी।

1. सामान्य शर्तेः-

1.1 वन उपज का नीलाम सामान्यतः गोल ठेके की पद्धति से किया जायेगा। किसी क्रेता/फर्म के नाम से उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति भी नियमानुसार धनराशि जमा कर नीलामी में भाग ले सकता है। कोई नया व्यक्ति अधिकृत तभी माना जायेगा जब क्रेता/फर्म द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो, प्रस्तुत करेगा। सभी प्रकार के नीलाम में भाग लेने के इच्छुक केताओं को जो कि प्रकाष्ठ/वनोपज का व्यवसाय करते हैं, वे यदि मैनुअल नीलाम(सामान्य नीलाम) में वनोपज की लाट लेना चाहे तो उन्हे रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) प्रवेश शुल्क डिपो में नकद (गेट मनी) जमा करनी होगी। यदि नीलाम में केता/फर्म के नाम किसी लाट की बोली छूटती है तो इस राशि में से उर्पयुक्त राशि जमानत के रूप में समायोजित कर ली जायेगी। केता द्वारा कय की गयी लाट की निर्धारित जमानत धनराशि जमा नही की है तो उसकी गेटमनी जब्त कर ली जायेगी तथा केता/फर्म एवं बोली देने वाले व्यक्ति दोनो को उ0 प्र0 वन निगम के नीलामों में

नीलामों में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। अधिकार पत्र के दो प्रारूप (प्रारूप अ तथा प्रारूप ब) है, जो कि वन निगम की वेबसाईट www.upforestcorporation.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त केता अगर यदि बार-बार गेटमनी जमा करने से बचना चाहतें है तो वे एकमुश्त 30,000.00 (तीस हजार रूपये) जमा करके मैनुअल नीलाम(सामान्य नीलाम) के लिये पंजीकृत होने के लिये आवेदन कर सकते हैं।

1.2 शर्त संख्या-1.1 में एक मुश्त धनराशि जमा करके पंजीकरण हेतु क्रेताओ को व्यवसाय से सम्बन्धित जानकारी केता/फर्म का नाम, मोबाइल नम्बर, व्यवसाय का पता, पैन न0, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नं0, आधार नं0, ई-मेल का पता, खाते का पूर्ण विवरण (नाम/ आई0एफ0एस0सी0/माईकर /एन0ई0एफ0टी0 कोड इत्यादि सहित) एक निर्धारित फार्म (जो कि वन निगम की वेबसाईट www.upforestcorporation.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा प्रभागीय स्तर पर भी प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियों सहित वन निगम के प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक कार्यालय में जमा करना होगा। सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म पर भरी सूचनाओं की पुष्टि करते हुये सत्यापित कर उसकी एक प्रति मुख्यालय को प्रेषित करनी होगी। केता उक्त जानकारी अपने लॉगिन पोर्टल से स्वंय भी अपलोड कर सकते हैं।

1.3 लाट की बिक्री सामान्यतः उच्चतम बोली के आधार पर होगी, परन्तु वन निगम उच्चतम अथवा किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिये बाध्य नही होगा। वन निगम को यह अधिकार होगा कि उच्चतम अथवा किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे।

2. यद्यपि लाट में सम्मिलित प्रत्येक नग की नपत विक्रय सूची में सही अंकित की जाती है, तथापि केता को चाहिए कि बोली देने से पहले लाट को भली भाँति देख लें। यदि कोई केता विक्रय सूची में दर्ज वन उपज (जलौनी/जड़ को छोड़कर) की नपत में संदेह करता है और पुनः नपत करवाना चाहता है तो वह (केता) सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी को लिखित आवेदन पत्र देगा और साथ ही लाट के विक्रय मूल्य का एक प्रतिशत अथवा रू0 500/- (नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगी) जो भी अधिक हो जमा करेगा। यदि दोबारा की गई नपत एवं पूर्व अंकित नपत में दो प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो लाट की बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और लाट के सम्बन्ध में केता द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि लागू राजकीय नियमों के अनुसार केता को वापस कर दी जायेगी। परन्तु उपरोक्त नपत प्रकिया में यदि अन्तर दो प्रतिशत या उससे कम पाया जाता है तो बिक्री वैध

मानी जायेगी और केता द्वारा जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगी। जलौनी/जड़ की पुनः नपत नही होगी।

3. लाट की बिक्री हो जाने के बाद वनोपज के ग्रेड(गुण श्रेणी) के विषय में केता की कोई शिकायत नही सुनी जायेगी। अतः केता वनोपज की भौतिक स्थिति मौके पर देखकर ही बोली दें।

4. नीलामी समाप्ति होने पर जमानत तथा जी0एस0टी0 (देयकर) की धनराशि के भुगतान की प्रकिया निम्नवत् हैः-

4.1 नीलाम की अवधि सामान्यतः प्रातः 11.00 बजे से नीलाम समाप्ति तक होगी।

4.2 लाट की उच्चतम बोली देने वाले केता को रू0. 25000.00(रूपये पचीस हजार मात्र) तक की बोली पर कुल बोली का 23.6 प्रतिशत जमानत और उससे अधिक बोली पर न्यूनतम रूपया 5900.00 (रूपये पांच हजार नौ सौ मात्र) या उच्चतम बोली का 11.8 प्रतिशत जमानत जो भी अधिक हो (सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी के पक्ष में) निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा। नीलाम के समय सभी स्थितियों पर ध्यान रखते हुए नीलामकर्ता/अधिकारी अपने विवेकानुसार/आवश्यकतानुसार जमानत राशि बढाने के लिये सक्षम होगें। तद्नुसार उपरोक्त जमानत की धनराशि में परिवर्तन हो सकेंगा।

लाट निरस्त होने की दशा में पूर्ण धनराशि वापस कर दी जायेगी। लाट का विक्रय मूल्य जमा न होने की दशा में जो भी स्थिति हो में 20 प्रतिशत अथवा रू0 5000.00 अथवा 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के मद में जब्त की जायेगी तथा शेष धनराशि जी0एस0टी0 के रूप में जमा कर दी जायेगी। लाट के अनुमोदन की दशा में जमानत की धनराशि को विक्रय मूल्य में समायोजित किया जायेगा।

4.3 इस व्यवस्था में समस्त केतागण जो सामान्य नीलाम के माध्यम से लाटें को क्रय करते है। वे ई-पेमेंट/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा चालान/ एन0ई0एफ0टी/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि वन निगम के लिये नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जमा कर सकते हैं।

4.4 कृपया ध्यान दें कि इस व्यवस्था में केतागण केवल मैनुअल नीलाम (सामान्य नीलाम) के माध्यम से क्रय की गयी लाट की धनराशि ही जमा करा सकेगें। जिसके लिए लाटवार चालान जनरेट हो सकेगा। किसी अन्य लाट का चालान जो मैनुअल नीलाम (सामान्य नीलाम) के माध्यम से क्रय नही की गयी है, वो जनरेट नही हो सकेगा।

4.5 किसी एक मैनुअल नीलाम (सामान्य नीलाम) में एक लाट अथवा एक से अधिक लाटों का चालान भी जनरेट हो सकेगा।

4.6 प्रत्येक चालान की एक यूनिक आई0डी0 (पहचान) होगी, जो उन्ही लाटों के लिए होगी, जो चालान पर प्रिंट होगी। अर्थात एक चालान से किसी भी बैंक में यूनिक आई0डी0 के माध्यम से धनराशि जमा की जा सकती है। जमा की जाने वाली धनराशि चालान में अंकित धनराशि से कम या अधिक नही होनी चाहिए तथा बैंकिंग चार्ज केता को स्वयं वहन करना होगा अन्यथा यह धनराशि अस्वीकार होकर केता के खाते मे वापस चली जाएगी। जिसके लिए केता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4.7 केता को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि चालान में अंकित यूनिक आई0डी0 (पहचान) संख्या बैंक खाता संख्या (एकाउन्ट नम्बर) नही है अतः इस यूनिक आई0डी0 (पहचान) संख्या के सापेक्ष अन्य माध्यमों से धनराशि जमा करने का प्रयास न करें अन्यथा केता के द्वारा जमा की गयी धनराशि निर्धारित खाते में नही प्राप्त हो सकेगी। जिसके लिए केता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4.8 जमानत की धनराशि नीलाम की तिथि छोड़कर अगले 02 (दो) दिनों के अन्दर सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी के पक्ष में निर्धारित प्रकियानुसार जमा की जायेगी। बैंक अवकाश अथवा बैंक बन्द होने के कारण ये अवधि तद्नुसार आगे बढ जायेगी। तिथि बढ़ाने की प्रक्रिया का प्रभाव पूरे प्रदेश के डिपुओं पर लागू होगा। उक्त निर्धारित अवधि में केता द्वारा जमानत की धनराशि न जमा करने के कारण जमानत अवधि समाप्त होने पर अगले 07 (सात) दिन तक विलम्ब शुल्क के साथ जमा की जा सकेगी। विलम्ब शुल्क जमानत धनराशि का 5.9 (पाँच दशमलव नौ) प्रतिशत प्रति दिन निर्धारित है। जमानत की धनराशि जमा करने की निर्धारित अवधि (दो दिन एवं बैंक अवकाश/बंदी, यदि लागू हो) के समाप्त होने के पश्चात् विलम्ब शुल्क लागू होगा। विलम्ब शुल्क जनरेट किये जाने वाले चालान में स्वतः प्रदर्शित हो जायेगा। विलम्ब शुल्क की 07 (सात) दिन की अवधि में कोई बैंक अवकाश अथवा बैंकबंदी के लिए कोई छूट अथवा कोई अतिरिक्त अवधि प्रदान नही की जायेगी। उक्त अवधि तक यदि केता द्वारा जमानत एवं देयकर नही जमा किया जायेगा तो उसकी बोली को अस्वीकार मानते हुए उसका पंजीकरण शुल्क /गेटमनी जब्त कर लिया जायेगा तथा केता को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाला जा सकता है। विलम्ब शुल्क से प्राप्त धनराशि पर देयकर सम्बन्धित कर नियमानुसार वसूल किये जायेंगे।

4.9 केता द्वारा अपने बैंक खातों के अंकित विवरण के सत्यापन हेतु बिन्दु संख्या 1.2 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर समस्त जानकारी भरकर सत्यापित अभिलेखों वन निगम में जमा कराना होगा। इस हेतु केता द्वारा अपने लॉगिन आई0डी0 पर अपने बैंक खातों के अंकित विवरण के सत्यापन हेतु संबंधित प्रभगीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अकिधकारी के मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 आधारित व्यवस्था लागू होगी। एक बार सत्यापन होने की दशा में भविष्य के लिए केता के बैंक खातो का विवरण सत्यापित माना जायेगा।

4.10 नीलाम में लाट निरस्त होने की दशा में जमानत की धनराशि तद्नुसार केता को आर0टी0जी0एस0 /एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी, उ0प्र0 वन निगम, द्वारा केता के शर्त संख्या-4.9 के अनुसार सत्यापित खाते में वापस कर दी जायेगी। तात्पर्य यह है कि नीलाम में निरस्त की गयी लाट की जमानत की धनराशि अधिकतम 15 (पन्द्रह) कार्य दिवस के भीतर वापस कर वापस की गयी धनराशि के चैक/आर0टी0जी0एस0 /एन0ई0एफ0टी0 का विवरण मैनुअल नीलाम(सामान्य नीलाम) के ई0आर0पी0 साफ्टवेयर में प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी द्वारा भर दिया जायेगा।

4.11 उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रक्रिया से जमा की गई कोई भी धनराशि स्वीकार नही होगी तथा उसके लिए केता स्वयं उत्तरदायी होगें तथा उनकी वित्तीय क्षति के लिए वन निगम उत्तरदायी नही होगा।

4.12 यदि केता के भुगतान निर्देश/चालान की सीमा समाप्त हो गयी है तो भुगतान निर्देश/चालान को डिलीट करके पुनः भुगतान निर्देश/चालान उत्पन्न करके नए भुगतान निर्देश/चालान के आधार पर धनराशि जमा करें।

4.13 जिस दिन चालान को आनलाइन जनरेट किया जायेगा उसी दिन भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में भुगतान किये जाने वाली धनराशि चालान में दर्शित धनराशि से अधिक या कम न होने पायें। अन्यथा की दशा में धनराशि केता के खाते में स्वतः वापस आ जायेगी। पुनः केता को अगले दिवस में चालान जनरेट करके तद्नुसार भुगतान करना होगा। जिसके लिए केता स्वयं उत्तरदायी होगें। तात्पर्य यह है कि जिस दिन चालान जनरेट होगा धनराशि उसी दिन जमा होगी।

5. जमानत जमा होने के पश्चात अनुमोदनोपरान्त लाट के विक्रय मूल्य जमा करने की प्रक्रिया निम्नवत् है:-

5.1 लाट के विक्रय की स्वीकृति/अनुमोदन होने पर देय धनराशि (विक्रय मूल्य, प्रमाणिकृत प्रकाष्ठ हेतु 8.50 प्रतिशत (साढे आठ प्रतिशत प्रमाणीकरण प्रीमियम) आयकर जी0एस0टी0, अभिवहन शुल्क एवं अन्य देय कर/शुल्क) देय होगा।

5.2 इस व्यवस्था में समस्त क्रेतागण जो मैनुअल नीलाम(सामान्य नीलाम) के माध्यम से लाटों को क्रय करते है। वे ई-पेमेंट/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा चालान/ एन0ई0एफ0टी/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि वन निगम के लिये नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जमा कर सकते हैं।

5.3 लाट के अनुमोदन की सूचना हाथ से अथवा रजिस्ट्री द्वारा डिपो स्तर से प्रेषित की जायेगी। अनुमोदन के प्रेषण की तिथि का अंकन मैनुअल नीलाम(सामान्य नीलाम) के साफ्टवेयर पर डिपों अधिकारी द्वारा किया जायेगा। अनुमोदन सूचना प्रेषण तिथि के अगले 24 दिनों के भीतर एवं माल निकासी के पूर्व विक्रय मूल्य/प्रमाणिकृत प्रकाष्ठ का प्रीमियम (प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम के पक्ष में) एवं कर/शुल्क आदि का भुगतान (सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी के पक्ष में) ई-पेमेन्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत मैनुअल नीलाम(सामान्य नीलाम) के साफ्टवेयर में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रेता को करना होगा। अभिवहन शुल्क अलग से माल निकासी के समय जमा किया जायेगा।

5.4 लाट का अनुमोदन पत्र जारी होने के बाद लाट क्रेता को उ0प्र0 वन निगम की वेबसाइट पर लंबित भुगतान सेक्शन में दिखाई देने लगेगी। क्रेता उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत लाट की शेष धनराशि जमा कर सकते हैं।

5.5 क्रेता कृपया ध्यान दे कि इस व्यवस्था में क्रेतागण केवल मैनुअल नीलाम(सामान्य नीलाम) के माध्यम से क्रय की गयी लाट की विक्रय मूल्य की धनराशि ही जमा कर सकेगें। जिसके लिए लाटवार अथवा एक नीलाम में एक से अधिक क्रय की गयी लाटों का चालान जनरेट हो सकेगा। किसी अन्य लाट का चालान जो मैनुअल नीलाम(सामान्य नीलाम) के माध्यम से क्रय नही की गयी है, वो जनरेट नही हो सकेगा।

5.6 प्रत्येक चालान की एक यूनिक आई0डी0 (पहचान) होगी, जो उन्ही लाटों के लिए होगी, जो चालान पर प्रिन्ट होगी अर्थात एक चालान से किसी भी बैंक में यूनिक आई0डी0 के माध्यम से धनराशि जमा की जा सकती है। जमा की जाने वाली धनराशि चालान में अंकित धनराशि से कम या अधिक नही होनी चाहिए अन्यथा यह धनराशि अस्वीकार होकर क्रेता के खाते में वापस चली जायेगी। जिसके लिए क्रेता स्वंय उत्तरदायी होगा।

5.7 केता यह भी ध्यान दे कि चालान में अंकित यूनिक आई0डी0 (पहचान) संख्या बैंक खाता संख्या (एकाउन्ट नम्बर) नही है अतः इस यूनिक आई0डी0 (पहचान) संख्या के सापेक्ष अन्य माध्यमों से धनराशि जमा करने का प्रयास न करें अन्यथा केता के द्वारा जमा की गयी धनराशि निर्धारित खाते में नही प्राप्त हो सकेगी। जिसके लिए केता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5.8 चालान माध्यम में केता को शेष धनराशि दो भागों में जमा करनी होगी। दोनों भागों का धनराशि एवं खाते का विवरण भुगतान निर्देश/चालान में प्रर्दशित होगा। यदि केता द्वारा भुगतान करते समय किसी कारणवश धनराशि गलत हो जाती हैं तो जमा की गयी धनराशि स्वचलित तरीकें से केता के खाते में वापस हो जायेगीं। इस दशा में केता को पुनः लाट्वार भुगतान निर्देश/चालान उत्पन्न करके शेष धनराशि जमा करनी होगी। जिसके लिए केता स्वयं उत्तरदायी होगें।

5.9 चालान माध्यम में जो धनराशि भुगतान निर्देश/चालान में प्रदर्शित हो रही हैं वही धनराशि निर्धारित अवधि के दौरान सम्बन्धित खाते में यूनिक आई0डी0 के माध्यम से ही जमा करें।

5.10 विक्रय मूल्य की धनराशि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत भुगतान की जानी होती है। चूंकि यह अवधि निर्धारित है अतः शेष विक्रय मूल्य अनुमोदन प्रेषण तिथि के 24 दिन (प्रेषण तिथि को छोडकर) के अन्दर ही केता को भुगतान करना होगा इस अवधि में बैंक अवकाश/बंदी के कारण भुगतान हेतु अतिरिक्त अवधि देय नही होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात किये जाने वाले भुगतान पर स्वतः विलम्ब शुल्क एवं देयकर चालान में अंकित हो जायेगें।

5.11 यदि केता के भुगतान निर्देश/चालान की सीमा समाप्त हो गयी है तो भुगतान निर्देश/चालान को डिलीट करके पुनः भुगतान निर्देश/चलाना उत्पन्न करके नए भुगतान निर्देश/चालान के आधार पर धनराशि जमा करें।

5.12 जिस दिन चालान को आनलाइन जनरेट किया जायेगा उसी दिन भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में भुगतान किये जाने वाली धनराशि चालान में दर्शित धनराशि से अधिक या कम न होने पायें। अन्यथा कि दशा में धनराशि केता के खाते में स्वतः वापस आ जायेगी। पुनः केता को अगले दिवस में चालान जनरेट करके तद्नुसार भुगतान करना होगा। तात्पर्य यह है कि जिस दिन चालान जनरेट होगा धनराशि उसी दिन जमा होगी।

5.13 प्रमाणीकृत प्रकाष्ठ के क्रय हेतु केता भुगतान के समय प्रमाणीकरण प्रीमियम हेतु तद्नुसार चालान जनरेट कर सकेगें।

5.14 उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रक्रिया से जमा की गयी कोई भी धनराशि स्वीकार नही होगी तथा उसके लिए क्रेता स्वयं उत्तरदायी होगें तथा उनकी वित्तीय क्षति के लिए वन निगम उत्तरदायी नही होगा।

6. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य नियम, कर अथवा संशोधित कर होने की दशा में क्रेता को तदनुसार मान्य होगें।

क्रेता द्वारा कर में छूट सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हे उसी स्थान की निकासी दी जायेगी,जिस स्थान का उन्होने अपना व्यवसाय पंजीकृत करवाया है।

क्रेता को कर/शुल्क सम्बन्धी कोई भी छूट तभी प्रदान की जायेगी जब क्रेता द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय के सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा छूट प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। अन्य जिले अथवा स्थानों के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र पर कोई छूट देय नही होगी।

7. सभी प्रकार के लाटों की मैनुअल नीलाम(सामान्य नीलाम) द्वारा बिक्री के मामलों में अनुमोदन की अधिकतम अवधि नीलाम की तिथि को छोड़ कर 25 (पच्चीस) दिन तक होगी। यदि नीलाम की तिथि को छोड़कर 25 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है और क्रेता को बिक्री के अनुमोदन की सूचना हाथ/ पंजीकृत डाक से नही भेजी जाती है तो क्रेता लाट को क्रय करने से इंकार कर सकता है और ऐसी स्थिति में क्रेता के माँगने पर उस लाट की जमानत उसको वापस की जा सकती है। क्रेता अपनी दी गयी बोलियों के क्रम में अनुमोदित/निरस्त लाटों के सम्बन्ध में जानकारी सम्बन्धित कार्यालयों से स्वयं , उ0प्र0 वन निगम की वेबसाइट से अथवा मैनुअल नीलाम(सामान्य नीलाम) साफ्टवेयर के अपने लॉगिन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

8. भुगतान हेतु उपरोक्त ई-पेमेंट प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुमोदन सूचना प्रेषित होने के 10 दिन के अन्दर विक्रय मूल्य के भुगतान पर छूट की व्यवस्थाः-

8.1 यदि क्रेता अनुमोदन सूचना प्रेषित होने के 10 दिन के अन्दर (प्रेषण का दिन छोड़कर) कुल भुगतान उपरोक्तानुसार जमा करता है तो उसे लाट के विक्रय मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत छूट दी जायेगी।

8.2 कोमल काष्ठ की निम्नलिखित प्रजातियों के "बी" ग्रेड में उक्त स्थिति में 03 (तीन)प्रतिशत की छूट दी जायेगी-

1.पौपलर, 2. सेमल 3. गुटेल 4. पूला 5. कंजू 6. झींगन 7.एलन्थस/अर्रु 8. हल्दू 9. फल्दू 10. बौरंग 11. गूलर 12. खरपट 13.गोजीना14. पेपर मलबरी 15. ढाक 16 तुन 17. मलबरी 18. सिरस 19. बहेड़ा 20. बरगद 21. बाकली 22. सलई ।

8.3 छूट हेतु उपरोक्त निर्धारित अवधि में बैंक अवकाश/बैंक बंदी के कारण भुगतान हेतु कोई भी अतिरिक्त अवधि देय नही होगी। केता को छूट लेने के लिए उपरोक्तानुसार 10 दिन के अन्दर ही समस्त देय धनराशि जमा करनी होगी।

9. शर्त संख्या 05 में उल्लिखित प्रकिया एवं धनराशि जमा हेतु निर्धारित अवधि 24 (चौबिस दिन) के अन्दर यदि केता देय धनराशि का भुगतान नही करता है, तो उसे अगले 14 (चौदह) दिनों तक प्रत्येक दिन की देरी के लिए देय विक्रय मूल्य की धनराशि पर 0.25% प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क एवं देय जी0एस0टी0 देना होगा। यदि विलम्ब शुल्क एवं देय जी0एस0टी0 की धनराशि 14 (चौदह) दिनों की अवधि के बाद भी केता देय धनराशि का भुगतान नही करता है तो उसकी जमानत एवं जी0एस0टी0 की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और लाट का नीलाम स्वतः निरस्त माना जायेगा।

10. केता को अनुमोदन सूचना हाथ/पंजीकृत पत्र द्वारा प्रेषित करने की तिथि (प्रेषण की तिथि को छोड़कर) से 45 दिनों के अन्दर डिपो से लाट की निकासी लेनी होगी। यदि केता किसी कारणवश उक्त अवधि में डिपो से माल की पूर्ण/आंशिक निकासी नही कर पाता है तो उक्त दिनों के बाद 30 दिनों तक <u>प्लाट रेंट व जी0एस0टी0</u> के साथ निकासी की अनुमति प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। इन 30 दिनों तक निकासी के लिए केता द्वारा 15 दिन के विलम्ब के लिये डिपो में पड़े अवशेष मात्रा के मूल्य का 0.25% प्रतिशत प्रति दिन तथा शेष 15 दिनों हेतु 0.50% प्रतिशत प्रति दिन की दर से प्लाट रेंट एवं तद्नुसार जी0एस0टी0 देय होगा। उक्त 30 दिनों में यदि केता द्वारा निकासी नहीं ली जाती है तो अगले 30 दिनों के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक माल की निकासी हेतु प्लाट रेंट 0.50% प्रतिशत प्रतिदिन के दर पर एवं तद्नुसार देय जी0एस0टी0 के साथ अनुमति प्रदान कर सकते हैं। अगर उपरोक्त अवधि में भी केता माल की निकासी नही ले पाता है, तो केता के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में प्लाट रेंट एवं नियमानुसार देय जी0एस0टी0 सहित अवधि विस्तार हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में –

10.1 केता द्वारा उस लाट के लिये जमा की गयी धनराशि वन निगम के पक्ष में स्वतः जब्त मानी जायेगी।

10.2 डिपो में रखी हुयी लाट की वन उपज पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा जिसे निगम केता को बिना सूचना दिये हुए चाहे नीलाम द्वारा या अन्य माध्यम से निस्तारण करने के

लिए स्वतंत्र होगा तथा इसके लिये केता किसी प्रकार के मुआवजे आदि का हकदार नही होगा।

11. उपरोक्त नियमों में निर्दिष्ट अवधि के अनुसार प्लाट रेंट की धनराशि केता से नकद अधिकतम रू0. 10000.00 (रूपये दस हजार मात्र) अथवा प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम के पक्ष में बैंक डाफ्ट के माध्यम से नियमानुसार वसूल की जायेगी।

12. भुगतान के सम्बन्ध में डिपो अधिकारी अथवा डिपो लेखाकार या दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहर लगी हुई रसीद ही वैध मानी जायेगी।

13. केता को डिपो से निकासी सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच के समय में ही दी जायेगी। यह भी प्रतिबन्धित होगा कि ई0वे0 बिल/डिलिवरी चालान भी इसी अवधि में जारी हो जाय अन्यथा ई0वे0बिल/डिलिवरी चालान सूर्यास्त के बाद जारी होने पर अभिवहन शुल्क वन विभाग के नियमो के अन्तर्गत लिया जायेगा।

14. **विशेष शर्तेः-**

14.1 **प्रकाष्ठ-** लाट के प्रत्येक नग की नपत उस नग पर अंकित रहेगी। सभी प्रकार के लाट आयतन के आधार पर बेचे जायेंगें न कि भार के आधार पर । सिवाय कोयला, असना-छाल एवं बुरादे की लाटों के।

15. **बांस, जड़, जलौनी एवं फर्राः-** बांस की नीलामी बांस किस्म/श्रेणी के अनुसार नगों के आधार पर की जायेगी। जड़,जलौनी व आरा मशीनों से निकले हुए फर्रे का विक्रय सामान्यतः लगभग चट्टा (7मी.X 3मी.X 1मी.) बनाकर चट्टा आयतन में किया जायेगा। केता को चाहिए कि चट्टे भली भाँति देखकर ही बोली दें।

16. (अ)- **कोरैया,कोयला,असना छाल एवं बुरादाः-** कोरैया की लाट नग एवं अनुमानित वजन के अनुसार तथा कोयला, असना छाल एवं बुरादा की लाट अनुमानित वजन के अनुसार बनायी जायेंगी। इनकी बोली प्रति कुन्तल में ही ली जायेगी तथा इनकी जमानत की धनराशि अनुमानित वजन के अनुसार ही जमा करनी होगी।

16.(ब)- बिके हुए लाट की अनुमोदन सूचना लाट में अंकित अनुमानित वजन के आधार पर ही जारी किया जायेगा और इसके भुगतान के लिये सामान्य शर्तें लागू होंगी।

16.(स)- लाट की निकासी के लिए भी सामान्य शर्तें लागू होंगी। तौल से नीलाम किये जाने के मामलों में भरे हुए ट्रक, निगम द्वारा मान्य धर्मकांटे पर निगम के अधिकृत कर्मचारी के सामने तौला जायेगा और तौल के पर्चे पर अधिकृत कर्मचारी व केता

दोनों हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार के प्राप्त माल के पर्चे के अनुसार ही अन्तिम भुगतान बिल बनाया जायेगा तथा यदि बिल में दर्शित देय भुगतान पूर्व सूचना से अधिक हुआ तो क्रेता को तुरन्त अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना होगा और तभी क्रेता को ट्रक धर्मकाटे से ले जाने की अनुमति दी जायेगी। यदि पहले भुगतान अधिक हो गया तो क्रेता को नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि वापस (रिफण्ड) की जायेगी।

16.(द)– निकासी के लिये लाये खाली ट्रक का भार क्रेता को निगम द्वारा मान्य धर्मकांटे पर निगम के अधिकृत कर्मचारी के सम्मुख करवाना होगा। यदि समीप में धर्मकांटा न होने से खाली ट्रक का भार न करवाया जा सका तो ट्रक रजिस्ट्रेशन किताब में लिखा हुआ ट्रक का भार माना जायेगा।

17. <u>शून्यकालः–</u> उ0प्र0 वन निगम के डिपुओं से बिक्री किये गये वनोपज की निकासी लेने में अपरिहार्य परिस्थिति में हुए किसी प्रकार के व्यवधान जिसमें क्रेता उत्तरदायी न हो की अवधि को शून्य काल घोषित करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम को होगा।

18. उ.प्र. वन निगम में नीलाम में भाग लेने वाले क्रेताओं/फर्म को निम्न परिस्थितियों में काली सूची में दर्ज करते हुए पंजीकरण निरस्त कर पंजीकरण/प्रवेश शुल्क जब्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा परिस्थिति अनुसार क्रेता/फर्म को वन निगम के नीलामों में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

18.(अ)– नीलाम में व्यवधान उत्पन्न करने तथा अन्य क्रेताओं को नीलाम में बोली देने से रोकने पर ।

18.(ब)– डिपो में किसी समय अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही कर उ0प्र0 वन निगम को क्षति पहुँचाने पर ।

19. वन निगम से क्रय कि गयी लाट को पुनः बिक्री प्रथम क्रेता द्वारा वन निगम के डिपो में नही की जा सकेगी। वन निगम वास्तविक क्रेता जिसके नाम बिक्री अनुमोदित की गई होगी, को ही निकासी की अनुमति प्रदान करेगा।

20. नीलाम में क्रेता की एक डिपो में अधिक जमा धनराशि दूसरे डिपो में क्रय की गई लाट के विरूद्ध समायोजित नही किया जायेगा।

21. एक क्रेता की वन निगम में जमा धनराशि दूसरे क्रेता के नाम किसी भी दशा में हस्तान्तरित नही की जायेगी एवं क्रेता द्वारा एक लाट में अधिक जमा धनराशि को अपने दूसरे लाट के विक्रय मूल्य के विरूद्ध समायोजन भी नही कराया जा सकेगा।

22. विषम परिस्थितियों में डिपो अधिकारी प्राधिकृत होगा कि वन निगम के किसी अन्य डिपो (उसी विक्रय प्रभाग के निकटवर्ती डिपो) से आंशिक रूप से भरी हुई ट्रक/ट्रैक्टर आदि को लिखित अनुमति के पश्चात ही डिपो में प्रवेश दे सकता है। वन निगम के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से क्रय किये गये आंशिक प्रकाष्ठ भरे हुए ट्रक/ट्रैक्टर आदि को डिपो में प्रवेश नही करने दिया जायेगा। सामान्यतया क्रेता द्वारा लाये गये खाली ढुलान वाहनो को ही निकासी हेतु डिपो में प्रवेश दिया जायेगा।

23. इन शर्तो के कियान्वयन सम्बन्धी विवादों में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, आर्बीट्रेटर होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी न्यायियक विवाद के लिए क्षेत्राधिकार सम्बन्धित विक्रय प्रभाग का कार्यक्षेत्र होगा।

24. उक्त सम्बन्धी किसी भी नियम/शर्त को प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 वन निगम द्वारा आवश्यक्तानुसार संशोधित, अतिक्रमित या निष्प्रभावी किया जा सकता है।

उपरोक्त नियम/शर्ते/प्रक्रिया प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहे है।

(अतुल जिन्दल)
महाप्रबन्धक(विपणन)
उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ

पत्रांक एम- 4401/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक(प्रमाणीकरण), उ0प्र0 वन निगम।
3. समस्त महाप्रबन्धक, (कार्मिक को छोडकर) उ0प्र0 वन निगम।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, (मुख्यालय/ईकोटूरिज्म को छोडकर)उ0प्र0 वन निगम।
5. मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
6. आन्तरिक सम्परीक्षाधिकारी, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
7. समस्त प्रभागीय विक्रय/लौगिंग प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी/लौगिंग अधिकारी/विपणन अधिकारी उ0प्र0 वन निगम।
8. विक्रय अधिकारी (सिस्टम) उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ई0आर0पी सॉफ्टवेयर पर अपडेशन करायें तथा उपरोक्त आदेश वेबसाइट पर अपलोड भी करायें।

(अतुल जिन्दल)
महाप्रबन्धक(विपणन)
उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ